राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2365/2022

राजेश कुमार साहू –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर।
2. खनिज अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान, खनिज भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. सचिव, खान एवं भूविज्ञान शासन सचिवालय जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.07.2022
आदेश की दिनांक : 28.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शंभु दयाल पुजारी, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में खनिज रक्षक के पद पर खनिज अभियनता, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय खनिज अभियन्ता बाडमेर कर दिया गया। अपीलार्थी ने पद पर पदस्थापित रहते हुए पुलिस थाना करधनी में दिनांक 05.07.2022 को पुलिस द्वारा जप्त किया गया था, अवैध खनन की बजरी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मौका पर गया था, वहा टैक्टर नम्बर आर.जे. 14 आर.डी. 0037 को अवैध बजरी के पायी गई, अपीलार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से उक्त टैक्टर ट्रोली मालिक व ड्राईवर ने कहा कि उक्त बजरी को मिट्टी में परिवर्तन कर दो क्योंकि अगर ट्रोली मं अवैध बजरी दिखाई गई तो खनिज विभाग द्वारा 1,27,000/– रुपये का जुर्माना किया जावेगा अगर मिट्टी दिखा दी गई तो 25 हजार रुपयों का जुर्माना होगा। जिस पर अपीलार्थी ने उक्त ट्रेक्टर के मालिक को मना कर दिया, क्योंकि अपीलार्थी अपने पद का दुरूपयोग नहीं करना चाहता था व अपनी ईमानदारी से कार्यवाही की गई थी, जिसके कारण उक्त टैक्टर मालिक ने धमकाया की हमारे उपर राजनैतिक एम.एल.ए तक जान पहचान है, तुम्हारा दो दिन में स्थानान्तरण करवा दूंगा। इसी कारण अपीलार्थी का उक्त आदेश जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं किसी प्रकार से कोई अपीलार्थी के अलावा किसी अन्य

का स्थानान्तरण नही किया गया, ना ही किसी प्रकार से कोई सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में कोई भी प्रशासनिक कारण नहीं था। अपीलार्थी को दुर्भावनावश परेशान करने की नियत से विधायक के कहने से स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी की माताजी लगभग 70 वर्ष की है, उनके अस्थमा रोग, हाई ब्लड प्रेशर व मधूमेह रोग की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जाती है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी को खनिज रक्षक के पद पर खनिज अभियनता, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश जनहित में जारी किया गया है। इस प्रकार यात्रा भत्ता आदि नियमानुसार देय है। आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित होकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर सन् 2000 अर्थात् विगत 22 वर्षो से कार्यरत है। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य